M.P. State Legal Services Authority

NALSA (Child- Friendly Legal Services for Children) Scheme, 2024

नालसा (बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें) योजना, 2024

574, South Civil Lines, Jabalpur – 482001
Phone : 0761-2678352, 2624131 Fax : 0761-2678537
Email - mplsajab@nic.in Website:mpslsa.gov.in HelplineNo. 15100

Under Section 12 (c) of The Legal Services Authorities Act, 1987, every child has the right to free Legal Aid to file or defend a case.

Further, Provision of free Legal Aid/Advice, Counseling and representation etc. for children is provided under other legislation as well, including the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act,

2015 (JJ Act) and the Protection of Children from Sexual Offenses Act, 2012 (POCSO Act).

Why is it important for children to have access to child-friendly legal services and legal assistance?

Children may require legal services for following reasons:-

1. Due to lack of knowledge and understanding about legal processes, procedures and implication, children often find it difficult in communicating with adult and navigate through legal proceedings.
2. Further, they may require legal services in following instances:-

- As defendants or witnesses in criminal proceedings.
- As parties in matrimonial or family proceedings.
- As victims of physical and psychological violence, sexual abuse or other crimes or rights violation etc.
- As parties in civil or administrative proceedings.

Therefore, children need Child-Friendly legal services and hence, NALSA (Child-Friendly Legal Services for Children) Scheme, 2024 scheme has been created by NALSA to help children to help them in navigating through the Judicial processes.

What is NALSA (Child-Friendly Legal Services for Children) Scheme, 2024 and what is the objective of the scheme?

NALSA (Child-Friendly Legal Services for Children) Scheme, 2024 updates, revises and consolidates the two previous schemes, viz. NALSA (Child-Friendly Legal Services to Children and their protection) Scheme, 2015, and Legal Services for Differently Abled Children Scheme, 2021, into one comprehensive scheme.

Objective of the scheme is to provide Free and competent legal services for children including children with disabilities and their parents/lawful guardians and supporting agencies, on behalf of such children under their care.

Following are the other important objectives of the scheme:-

1. Implementation of preventive, strategic and gender responsive legal services programs for vulnerable children with specific focus on children with disabilities.
2. To ensure that legal services are age appropriate, multi-disciplinary, effective and responsive to the specific legal, psychological, social and other needs of children.
3. To create a specialized work force of panel lawyers, PLVs and also conduct community out reach programs to spread awareness about the rights, entitlements, remedies etc.

What do "Child Friendly" and "Child Friendly Legal Services Scheme" mean?

According to the Scheme:-

1. **"Child Friendly"** shall mean any behavior, conduct, practice, process, attitude, environment or treatment that is humane, considerate and in the best interest of the child.
2. **"Child Friendly Legal Services Scheme"** shall mean provision of legal assistance to children in criminal, civil and administrative proceedings that is accessible, age-appropriate, multi- disciplinary, effective, and that is responsive to the range of legal, psychological and social needs faced by children.

What is "Legal Services Unit" for children (LSUC) and how legal services will be provided through it?

A very important feature of this scheme is that there will be a Legal Service Unit for supporting the children and their guardian in availing the benefits under the various schemes and to provide legal services and legal representation at following institutions/ places :-

Legal Services to children in conflict with law

- Legal Services at the Police Stations.
- Legal Services at Juvenile Justice Board.
- Legal Services at Child Care Institutions (Place of safety, observation home and special homes).
- Legal Services at Children's Courts.
- Legal Services at prisons.

Legal Services to"Children in Need of Care and Protection" (CNCP).

- Legal Services at the CWC.
- Legal Services for CNCPs in family based care.
- Legal Services for CNCPs in Child Care Institutions (CCIs).
- Legal Services for CNCPs who are Victims of crime.
- Legal Service sat Police Stations for missing/ trafficked children And children rescued from child labour.

Legal Services to "Children who are other-wise in contact with the law".

- Legal Services for children upon request to DLSA.
- Legal Services to a child witness.
- Legal Services for children for adoption.
- Legal Services for child victims of crime.
- Legal Services to children of prisoners.
- Legal Services to children involve in custody and guardianship cases.
- Legal Services to Child Seeking annulment of marriage or other relief under the prohibition of Child Marriage Act, 2006.

How can such persons avail legal services?

1. By dialing 15100 (Toll Free No.), By visiting legal service unit at institutions/places mentioned above
2. By visiting legal aid clinic located at schools/colleges
3. By visiting District Legal Services Authority and High Court Legal Services Committee as the case may be.
4. By visiting Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Jabalpur.

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, की धारा 12 (सी) के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को किसी मामले की पैरवी या बचाव के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त, अन्य कानूनों के तहत भी बच्चों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता, परामर्श और प्रतिनिधित्व आदि का प्रावधान किया गया है, जिसमें किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) शामिल हैं।

बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं और कानूनी सहायता तक बच्चों की पहुंच होना क्यों महत्वपूर्ण है?

बच्चों को निम्नलिखित कारणों से कानूनी सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है :-

1. कानूनी प्रक्रिया के बारे में ज्ञान और समझ की कमी के कारण, बच्चों को अक्सर वयस्कों के साथ संवाद करने और कानूनी कार्यवाही के क्रियान्वयन में कठिनाई होती है।
2. इसके अतिरिक्त, उन्हें निम्नलिखित मामलों में कानूनी सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है: -
   - आपराधिक प्रकिया में प्रतिवादी या साक्षी के रूप में।
   - वैवाहिक या पारिवारिक प्रक्रिया में पक्षकार के रूप में।
   - शारीरिक और मानसिक हिंसा, यौन शोषण या अन्य अपराध या अधिकार उल्लंघन आदि के पीड़ित के रूप में।
   - सिविल या प्रशासनिक प्रकिया में पक्षकार के रूप में।

अत: बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं की आवश्यकता है और इसलिए, बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया को सुलभ कराने के उद्देश्य से नालसा (बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना, 2024 बनाई गई है।

नालसा (बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना, 2024 क्या है और इस योजना का उद्देश्य क्या है?

नालसा (बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना, 2024 में नालसा (बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनका संरक्षण) योजना, 2015 और दिव्यांग बच्चों के लिए कानूनी सेवाएं योजना, 2021 को अद्यतन, संशोधित एवं समेकित करते हुये एक व्यापक योजना के रूप में शामिल किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों और उनके माता-पिता/कानूनी अभिभावकों तथा सहायक एजेंसियों सहित सभी बच्चों को उनकी देखरेख में ऐसे बच्चों की ओर से नि:शुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है।

योजना के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए कमजोर बच्चों के लिए निवारक, रणनीतिक और लिंग संवेदनशील कानूनी सेवा कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
2. यह सुनिश्चित करना कि कानूनी सेवाएं आयु के अनुरूप, बहु-विषयक, प्रभावी तथा बच्चों की विशिष्ट कानूनी, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और अन्य आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हों।
3. पैनल अधिवक्ताओं, पीएलवी का एक विशेष कार्यबल तैयार करना तथा अधिकारों एवं उपचारों आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना।

'बाल मैत्रीपूर्ण' और 'बाल मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना' का क्या अर्थ है?

योजना के अनुसार:-

1. **'बाल मैत्रीपूर्ण'** से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यवहार, आचरण, अभ्यास, प्रक्रिया, दृष्टिकोण, वातावरण या उपचार से है, जो मानवीय, विचारशील और बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो।
2. बच्चों के लिए **'बाल मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना'** से तात्पर्य आपराधिक, सिविल और प्रशासनिक कार्यवाहियों में बच्चों को विधिक सहायता प्रदान करना है, जो सुलभ, आयु-उपयुक्त, बहु-विषयक, प्रभावी हो तथा जो बच्चों की विधिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हो।

बच्चों के लिए 'कानूनी सेवा इकाई' (एलएसयूसी) क्या है और इसके माध्यम से कानूनी सेवाएं कैसे प्रदान की जाएंगी?

इस योजना की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में बच्चों और उनके अभिभावकों की सहायता करने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित संस्थानों/स्थानों पर कानूनी सेवाएं और कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक कानूनी सेवा इकाई होगी।

विधि से संघर्षरत बच्चों को विधिक सेवाएं :-

1. पुलिस थानों पर विधिक सेवाएं।
2. किशोर न्याय बोर्ड में विधिक सेवाएं।
3. बाल देखभाल संस्थानों (सुरक्षा स्थान, अवलोकन गृह और विशेष गृह) में विधिक सेवाएं।
4. बाल न्यायालयों में विधिक सेवाएं।
5. जेलों में विधिक सेवाएं।

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) को विधिक सेवाएं :-

- सीडब्ल्यूसी में विधिक सेवाएं।
- परिवार आधारित देखभाल में 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' के लिए विधिक सेवाएं।
- बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' के लिए विधिक सेवाएं।
- अपराध के पीड़ित 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' के लिए विधिक सेवाएं।
- गुमशुदा/तस्करी किए गए बच्चों और बाल श्रम से बचाए गए बच्चों के लिए पुलिस स्टेशनों पर विधिक सेवाएं।

विधि से अन्य रूप से संपर्क में रहने वाले बच्चों को प्राप्त विधिक सेवाएं:-

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुरोध पर बच्चों के लिए विधिक सेवाएं।
- बाल साक्ष्य हेतु विधिक सेवाएं।
- दत्तक ग्रहण लिए जाने वाले बच्चों के लिए विधिक सेवाएं।
- अपराध से पीड़ित बच्चों के लिए विधिक सेवाएं।
- बंदियों के बच्चों को विधिक सेवाएं।
- हिरासत और संरक्षकता मामलों में शामिल बच्चों को विधिक सेवाएं।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विवाह निरस्तीकरण या अन्य राहत चाहने वाले बच्चों को विधिक सेवाएं।

ऐसे व्यक्ति कानूनी सेवाएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

1. 15100 (टोल फ्री नंबर) डायल करके।
2. उपरोक्त संस्थानों/स्थानों पर विधिक सेवा इकाई पर जाकर।
3. स्कूल/कॉलेजों में स्थित कानूनी सहायता क्लिनिक पर जाकर।
4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जैसा भी मामला हो, में जाकर।
5. मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में जाकर।

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL